

2018/00029

1/10/18

जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज (समस्या) मुहम्मदगंज, जिला बंगलूर

समाप्त नम्बर श्री मोहम्मद अहमद खान 2018

जिला मुख्यालय - मुहम्मदगंज

10/10/18

स. नं. एच. 1000 की धारा 11

मुहम्मदगंज नम्बर 2018 धारा 2018

जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज जिला बंगलूर

22/10/18

समाप्त नम्बर मुहम्मद
की धारा 11 के अन्तर्गत मुहम्मदगंज की धारा 11 के अन्तर्गत
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज

समाप्त नम्बर 0-10
समाप्त नम्बर 2018
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज

20/10/18
20/10/18

8/2/18

जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज

जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
जिला मुख्यालय मुहम्मदगंज
12/4/18

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या 21 / 2018

दिनांक: 8/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का 2147 ने रिपोर्ट (पी-4) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल 11/14/2011 पुत्र 20/2011 जाति कच्छी साकिन 35 ने ग्राम 25/2011 के खसरा नं० 170/166 रकबा 0.10 बीघा जोड़ू पायतज गोचर चारागाह राजकिय भूमि में कारत/बाडी/कच्चा/ 35 ~~पक्का~~ निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का समूचा अधि 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल गिराल किया गया। सम्बन्धित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल 11/14/2011 पुत्र श्री 20/2011 जाति कच्छी साकिन 55 ग्राम 25/2011 खसरा नं० 170/166 रकबा 0.10

बीघा के अतिकार करने पर राज भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व 0.26 का 50 गुणा रूपये 13/- शरित से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। वेदखली बावत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बावत हल्का पटवारी को तथा मांग वायगी बावत टां आर ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर